रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 82] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 13, 2018/माघ 24, 1939
No. 82] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 13, 2018/MAGHA 24, 1939

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2018

सा.का.नि. 166 (अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, आयुक्त, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, और गृह मंत्रालय (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 1984 का जहां तक उनका संबंध (i) निदेशक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पदेन उपायुक्त, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, (ii) उपायुक्त, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और (iii) निदेशक, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग विकास (2) सहायक निदेशक, गृह मंत्रालय, आयुक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (आयुक्त का कार्यालय) भर्ती नियम 1985, जहां तक उनका संबंध सहायक निदेशक और संयुक्त प्रवर्ग के उपनिदेशक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (गृह मंत्रालय); आयुक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (आयुक्त का कार्यालय) भर्ती नियम 1985, जहां तक उनका संबंध उपनिदेशक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पद से है, उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है, अथवा करने से लोप किया गया है, अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग**,** अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, के निदेशक, उपनिदेशक और सहायक निदेशक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं**,** अर्थात् :**–**

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (निदेशक, उपनिदेशक और सहायक निदेशक) (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. <u>लागू होना</u>: ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. <u>पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर</u> : पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. <u>भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि</u> : भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. <u>निरर्हता</u> : वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. <u>शिथिल करने की शक्ति</u> : जहां केंद्रीय सरकार की यह राय हैं कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. <u>व्यावृत्ति</u> : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
निदेशक	14* (2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (78000-2,09,200/- रुपए) में स्तर 12	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	7 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर (अल्पकालिक संविदा सहित); 93 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसमें अल्पकालिक संविदा सहित)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति : ऐसा उप निदेशक जिसने वेतन मैट्रिक्स (67700-208700/- रुपए) में स्तर 11 की श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो और विभाग द्वारा संचालित 6 कार्य दिवसों का विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासनों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त संस्थानों या लोक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त अर्ध सरकारी या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी – (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हों; (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (67700 – 208700 रुपए) के स्तर 11 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 5 वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामाजिक कार्य या समाज शास्त्र या अर्थशास्त्र या मानव शास्त्र या सामाजिक मानव शास्त्र या अनुप्रयुक्त मानव शास्त्र या सांख्यिकी या मनोविज्ञान या भूगर्भ विज्ञान या गणित (सांख्यिकी सहित) में मास्टर डिग्री। (ii) सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में सर्वेक्षण या अनुसंधान करने का 8 वर्ष का अनुभव जिसमें आंकड़ा विश्लेषण करना और आंकड़ों को तैयार करना भी है। **टिप्पण 1–**पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2–** प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित), जिसके अन्तर्गत केद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3** -प्रतिनियुक्ति(अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	**(13)**
समूह 'क' विभागीय पुष्टि/प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-- **(i)** अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष **(ii)** संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग – सदस्य **(iii)** संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उप निदेशक	7* (2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (67700-208700 रुपए) में स्तर 11	चयन

(6)	(7)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता।	30 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है; **70** प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है।

(11)
प्रोन्नति : ऐसा सहायक निदेशक जिसने वेतन मैट्रिक्स (56100-177500/- रुपए) में स्तर 10 की श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो और विभाग द्वारा संचालित 6 कार्य दिवसों का विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासनों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त संस्थानों या लोक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त अर्ध सरकारी या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी – (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हों; (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (56100– 177500 रुपए) के स्तर 10 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 5

वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों:-

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामाजिक कार्य या समाज शास्त्र या अर्थशास्त्र या मानव शास्त्र या सामाजिक मानव शास्त्र या अनुप्रयुक्त मानव शास्त्र या सांख्यिकी या मनोविज्ञान या भूगर्भ विज्ञान या गणित (सांख्यिकी सहित) में मास्टर डिग्री।

(ii) सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में सर्वेक्षण या अनुसंधान करने का 5 वर्ष का अनुभव जिसमें आंकड़ा विश्लेषण करना और आंकड़ों को तैयार करना भी है।

टिप्पण 1–पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2– प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित), जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 -प्रतिनियुक्ति(अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	**(13)**
समूह 'क' विभागीय पुष्टि/प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-- **1.** संयुक्त सचिव**,** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय **–** अध्यक्ष **2.** संयुक्त सचिव**,** राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग **–** सदस्य **3.** निदेशक या उप सचिव**,** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय **–** सदस्य	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सहायक निदेशक	15*(2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स 56100-177500 रु. में स्तर 10	चयन

(6)	(7)
35 **वर्ष से अधिक नहीं** **(**केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए **5** वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।**)** **<u>टिप्पण</u>:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	आवश्यक: (क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से सामाजिक कार्य या समाज शास्त्र या अर्थशास्त्र या मानव विज्ञान या सामाजिक मानव विज्ञान या अनुप्रयुक्त मानव शास्त्र या मनोविज्ञान या भू-गर्भ विज्ञान या गणित (सांख्यिकी सहित) में मास्टर डिग्री। (ख) सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में सर्वे करने या अनुसंधान के क्षेत्र में जिसमें आंकड़ा विश्लेषण या रिपोर्ट तैयार करना भी है, का 3 वर्ष का अनुभव। <u>टिप्पण 1</u>: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा

	सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता/अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	दो वर्ष ।	25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है; **50** प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है और 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

(11)

प्रोन्नति : ऐसा अनुसंधान अधिकारी जिसने वेतन मैट्रिक्स (47600-151100/- रुपए) में स्तर 8 की श्रेणी में 2 वर्ष नियमित सेवा की हो और विभाग द्वारा संचालित 6 कार्य दिवसों का विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासनों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त संस्थानों या लोक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त, अर्ध सरकारी या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी –

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हों;

(ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (47600–151100 रुपए) के स्तर 8 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 2 वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट शैक्षिक अहर्ताए और अनुभव रखते हैं।

टिप्पण 1–पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2– प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित), जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 -प्रतिनियुक्ति(अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय या प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-- (क) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष (ख) संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय – सदस्य (ग) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग – सदस्य समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (क) संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय – अध्यक्ष (ख) निदेशक या उप सचिव, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग विकास प्रभाग, गृह मंत्रालय –सदस्य (ग) निदेशक या उप सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय – सदस्य	प्रत्येक स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा.सं. 17016/23/2015-एससीडी-VI]

यू. वेंकटेश्वरलू, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department Of Social Justice And Empowerment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2018

G.S.R. 166 (E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of (1) the Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the Ministry of Home Affairs (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 1984, in so far as they relate to the posts of (i) Director for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and ex-officio Deputy Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Castes and Scheduled Tribe; (ii) Deputy Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes; and (iii) Director for Scheduled Castes and Backward Classes Development; (2) the Assistant Director, Ministry of Home Affairs, Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the Office of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes Recruitment Rules, 1985, in so far as they relate to the post of Assistant Director; and (3) the Deputy Director for Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Ministry of Home Affairs, Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the office of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Recruitment Rules, 1985, in so far as they relate to the post of Deputy Director for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Director, Deputy Director and Assistant Director belonging to the joint cadre of the National Commission for Scheduled Castes, the National Commission for Scheduled Tribes and the Ministry of Social Justice and Empowerment, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Ministry of Social Justice and Empowerment, the National Commission for Scheduled Castes and the National Commission for Scheduled Tribes (Director, Deputy Director and Assistant Director) Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**- These rules shall apply to posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix or pay scale .-** The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc..-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.-** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix or pay scale.**	**Whether selection or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Director.	14* (2018) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-ministerial	Level 12 in the pay matrix (Rs 78800-209200/-)	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**
(7)	(8)	(9)
Not Applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	**In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.**
(10)	(11)
Seven per cent by promotion failing which by deputation (including short-term contract); Ninety-three per cent by deputation (including short-term contract).	Promotion: Deputy Director with five years regular service in the grade in level 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700/-) and having successfully completed the specified training of six working days duration conducted by the Department. Note-: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have

	already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: (Including short-term contract): Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or Universities or recognised research institutions or public sector undertakings or autonomous, semi-Government or statutory organisations- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the posts in level 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience as under: (i) Master's Degree of a recognised University or institution in Social Work or Sociology or Economics or Anthropology or Social Anthropology or Applied Anthropology or Statistics or Psychology or Geography or Mathematics (with Statistics); (ii) eight years experience of conducting survey or research in the field of social welfare including analysis of data and preparation of the reports. Note1: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: Period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a DPC exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.**
(12)	(13)
1. Group 'A' Departmental Promotion Committee (For considering promotion) consisting of:- (a) Chairman or Member, Union Public Service Commission- Chairman; (b) Joint Secretary, National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes- Member; (c) Joint Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment - Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Deputy Director.	7* (2018) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-ministerial	Level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700/-)	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)
Thirty per cent by promotion failing which by deputation including short-term contract; Seventy per cent by deputation including short-term contract.	Promotion: Assistant Director in level 10 in the pay matrix (Rs.56100-177500/-) with five years regular service and having successfully completed the specified training of six working days duration conducted by the Department. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short-term contract): Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or Universities or recognised research institutions or public sector undertakings or autonomous, semi-Government or statutory organizations- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 10 in the pay matrix(Rs.56100-177500/-) in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience as under: (i) Master's degree of a recognised University or institution in Social Work or Sociology or Economics or Anthropology or Social Anthropology or Applied Anthropology or Statistics or Psychology or Geography or Mathematics (with Statistics); (ii) five years experience of conducting survey or research in the field of social welfare including analysis of data and preparation of the reports. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short term contract) and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: Period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee(for considering promotion): consisting of:- (a) Joint Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment– **Chairman;** (b) Joint Secretary, National Commission for Scheduled Castes – **Member;** (c) Director or Deputy Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment – **Member.**	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Director.	15* (2018) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-ministerial	Level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500/-)	Selection.	Not exceeding 35 years. Note-1: Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note-2:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)
Essential: (a) Master's Degree of a recognised University or institution in Social	No.	Two years.

Work or Sociology or Economics or Anthropology or Social Anthropology or Applied Anthropology or Statistics or Psychology or Geography or Mathematics (with Statistics); (b) three years experience of conducting survey or research in the field of social welfare including analysis of data and preparation of the reports. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the said Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		

(10)	(11)
Twenty-five percent by promotion failing which by deputation including short-term contract, fifty per cent by deputation including short-term contract; and twenty-five per cent by direct recruitment.	Promotion: Research Officer with two years regular service in level 8 in the pay matrix (Rs.47600-151100/-) and having successfully completed the specified training of six working days duration conducted by the Department. Note: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (Including short-term contract): Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or Universities or recognised research institutions or public sector undertakings or autonomous, semi-Government. or statutory organizations- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii)with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 8 in the pay matrix(Rs.47600-151100/-) in the parent cadre or department; (b) possessing the educational qualifications and experience specified for direct recruits under column (7).

	Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short term contract) and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: Period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (a)Chairman or Member, Union Public Service Commission – **Chairman**; (b)Joint Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment – **Member**; (c)Joint Secretary, National Commission for Scheduled Castes – **Member**. Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (a) Joint Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment-**Chairman**; (b) Director or Deputy Secretary, National Commission For Scheduled Castes-**Member**; (c) Director or Deputy Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment- **Member**.	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

[F. No. 17016/23/2015-SCD-VI]

U. VENKATESWARLU, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.02.19 22:54:04 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.